जवानसिंह बनाम राज्य सरकार 208/2019

क्रम संख्या व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/10/19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप0। विप्रार्थी संख्या 1 से 5 अनुपस्थित। उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी ने इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 का संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम– अगासडी, पटवार हल्का आसाडी, तह0 गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 1026/495 रकबा 75.00 बीघा भूमि अवस्थित है। प्रार्थी को अपने वालिद स्व. भंवरसिंह से भूमि विरासत मे प्राप्त हुई थी। उनकी फौतगी का नामान्तकरण खोलते वक्त हल्का पटवारी ने भंवरसिह के विधिक वारिसान के सहीं नामो की जांच किये बिना अन्य सह खातेदारों के कहने से प्रार्थी का नाम जानसिह पुत्र भंवरसिंह दर्ज करवा दिया जो गलत है। जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम जवानसिंह पुत्र भंवरसिंह दर्ज है। अतः प्रार्थी ने राजस्व रेकर्ड में अन्य दस्तावेजो के आधार पर अपना नाम को शुद्धिकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर विप्रार्थी संख्या 1 से 5 के नोटिस तामिल के बावजूद कोई उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ एक तरफा कार्यावाही अमल में लाई जाती है तथा विप्रार्थी संख्या 6 की ओर से हल्का पटवारी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर ने अपने जबाव मे प्रार्थी के नाम को दुरूस्त किये जाने मे अपनी अनापति जाहिर की है। प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में दस्तावेजात नकल आधार कार्ड, पेनकार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान कार्ड व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो तथा विप्रार्थीगण के जवाब का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी का नाम सही नाम जवानसिंह पुत्र भंवरसिंह ही है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम अगासडी पटवार मण्डल आसाडी तह0 गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 1026/495 रकबा 75.00 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां को यथावत रखते हुए प्रार्थी का नाम जानसिंह पुत्र भंवरसिंह के स्थान पर जवानसिह पुत्र भंवरसिंह किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी शिव	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 13:33:48 IST
Reason: SelfAttested